न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 228/2022
जीसीएमएस न0 2022/668

1. श्री ख्यालीलाल पिता श्री मोतिलाल जी पूर्बिया जाति गाडरी निवासी चांदखेडा तह० निम्बाहेडा राज०

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा राज०

... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 01.10.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके ग्राम चांदखेडा तह० निम्बाहेडा की खाता स० 33 की आराजी न0 102 रकबा 0.5100 हे० आराजी न० 103 रकबा 0.0100 हे० आराजी 378/104 रकबा 0.4900 हे० कुल किता 3 कुल रकबा 1.0100 हेक्टयर कुल लगानी 25.5100 रूपये स्थित है उक्त आराजी के भू प्रबन्ध लागू होने से पूर्व साबिक सेटलमेंट आराजी न0 409/63 व 371/63 थे, नवीन आराजी न0 103 पर प्रार्थी द्वारा ट्यूबेल लगाकर अपनी उक्त कृषि भूमियों को सिंचित किया जाता है। साबिक आराजी न0 409/63 व 371/63 पूर्व में आराजी न0 63मीन रकबा 5 बिघा 19 बिस्वा का भाग थी जो शामलाति खातेदारी में दर्ज थी बाद में आपसी सहमति विभाजन से दिनांक 04.09.2008 से आराजी न0 63 मीन के अलग अलग भाग हुए जिसमें से आराजी न0 409/63 रकबा 2 बिघा (आराजी न0 63मीन का उत्तरी भाग) प्रार्थी के पास रहा व शेष आराजी न0 63 मीन रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा व आराजी न0 410/63 रकबा 0.07 बिस्वा भूमि गंगाराम पिता दोला जी कुमावत के रही, बाद में आराजी न0 371/63 रकबा 2 बिघा प्रार्थी द्वारा गंगाराम पिता दोला जी कुमावत से रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद ली थी, आराजी न0 410/63 रकबा 0.07 बिस्वा भूमि प्रार्थी की आराजी के उत्तरी और राजस्व नक्शे में सहमति बटवाडे अनुसार मौके पर काबिज अनुसार तरमीम की गई।

2. परन्तु नवीन भू प्रबन्ध के नक्शे में आराजी न0 410/63 का रकबा 0. 07 बिस्वा जिसका नवीन आराजी न0 379/104 रकबा 0.0900 हे० पडा जो प्रार्थी की आराजी के उत्तर की जगह दक्षिण में गलत जगह प्रार्थी के आधिपत्य की भूमि में दर्शा दिया एवं नवीन आराजी न0 103 रकबा 0.0100 हे० को [illegible] आराजी न0 104 में गलत तरीके से नवीन राजस्व नक्शे में दर्शा दिया गया जबकि आराजी न0 104 के बाद उत्तर की और आराजी न0 378/104 स्थित है जिसके [illegible] आराजी न0 103 स्थित है तदउपरांत उत्तर की और आराजी न0 102 उसके बाद नक्शे पर आराजी न0 379/104 रकबा 0. 0900 हे० आराजी न० 101 से मिली हुई होकर मौके पर स्थित है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात पर आमद रफत भी करता है गत राजस्व नक्शे में भी इसी कम में आराजी न0 379/104 स्थित थी परन्तु भू प्रबन्ध कर्मिकों की लापरवही से नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व नक्शे में आराजी न0 379/104, आराजी न० 103, आराजी न0 378/104, आराजी न0 102 में फेर बदल कर उन्हें गलत जगह दर्शा दिया। उक्त गलती को सुधारने हेतु प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा विपक्षी से लिखित व मौखिक रूप से निवेदन किया परन्तु विपक्षी द्वारा आजदिन तक उक्त गलती को नही सुधारा गया जिससे मजबुरन प्रार्थी को आप न्यायालय की शरण लेनी पड रही है।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार कर ग्ग्रम चांदखेडा की नवीन आराजी न0 379/104 रकबा 0.0900 हे० जिसका पूराना आराजी न0 410/63 रकबा 0.07 बिस्वा को गत भू प्रबन्ध के नक्शे में स्थित अनुसार तरमीम करने का आदेश प्रदान करते हुए उक्त गलती को दुरूस्त करने की कृपा करावें। ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2060–63 के खाता संख्या 15 में आ.न. 63मी रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा दर्ज थी जो श्री ख्यालीलाल पिता मोतीलाल पूर्वीया 119/357 नन्दलाल 119/357 एंव आशाराम 119/357 दर्ज रेकार्ड थी। इसी प्रकार खाता संख्या 16 में आ.न. 371/63 रकबा 2–00 बीघा श्री ख्यालीलाल के नाम दर्ज थी।

क्र0स0	साबिक रेकार्ड		नवीन रेकार्ड		विवरण
	आराजी नम्बर	रकबा बीघा	आराजी नम्बर	रकबा है0	ख्यालीलाल की निजी आराजी
1	371/63	2.00	102	0.51	
2	63 मी	5.19	103	0.01	
			104	1.50	

दोराने सेटलमेन्ट दिनांक 4.09.2008 को दिगर आराजीयात के साथ उक्त आराजी नम्बर 63मी. रकबा 5–19 का सहमति बंटवारा हुआ जिसमें 409/63 रकबा 2 बीघा उत्तरीभाग श्री ख्यालीलाल के नाम एंव 63मी रकबा 3–12 एंव 410/63 रकबा 0–07 श्री गंगाराम कुमावत के हिस्से मे रखा गया जिसका साबिक नामान्तरकरण स. 463 दर्ज हुआ। दोराने सेटलमेन्ट बंटवारा होने से सेटलमेन्ट रेकार्ड में उक्त बंटवारा दर्ज नहीं हुआ जिससे नवीन जमावन्दी की आ.न. 103 एंव 104 का बंटवारा किया गया। नवीन नक्शे अनुसार उक्त आराजी का उत्तरी भाग 378/104 श्री ख्यालीलाल के नाम एंव दक्षिणी भाग 104. मी एंव 379/104 विपक्षीगण के नाम है जो रेकार्ड अनुसार दुरस्त है।

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner all clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है दोराने सेटलमेन्ट दिनांक 4.09.2008 को दिगर आराजीयात के साथ उक्त आराजी नम्बर 63मी. रकबा 5–19 का सहमति बंटवारा हुआ जिसमें 409/63 रकबा 2 बीघा उत्तरीभाग श्री ख्यालीलाल के नाम एंव 63मी रकबा 3–12 एंव 410/63 रकबा 0–07 श्री गंगाराम कुमावत के हिस्से मे रखा गया जिसका साबिक नामान्तरकरण स. 463 दर्ज हुआ। दोराने सेटलमेन्ट बंटवारा होने से सेटलमेन्ट रेकार्ड में उक्त बंटवारा दर्ज नहीं हुआ जिससे नवीन जमाबन्दी की आ.न. 103 एंव 104 का बंटवारा किया गया। नवीन नक्शे अनुसार उक्त आराजी का उत्तरी भाग 378/104 श्री ख्यालीलाल के नाम एंव दक्षिणी भाग 104. मी एंव 379/104 विपक्षीगण के नाम है जो रेकार्ड अनुसार दुरस्त है। इस प्रकार नक्शे में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से एवं प्रकरण एवं कोई संशोधन नहीं होने से प्रकरण धारा 136 का नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.11.08 15:11:40 IST
Reason: SelfAttested